

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(आय-व्ययक अनुभाग)

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।

पत्रांक- 3910/आई०बी०/अन्तरण/अनु०-94/पूँजीलेखा

लखनऊ दिनांक: दिसम्बर, 18 2024

कार्यालय-जाप

उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2022/ए-2-06/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 08-01-2022 के क्रम में संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, उ०प्र०शासन के पत्र संख्या-100/22-27-सिं-65एसएवी/21, दिनांक 07-02-2022 द्वारा सी०सी०एल० प्रणाली को समाप्त कर कोषागार प्रणाली लागू किये जाने एवं शासन के पत्र संख्या-2259/23-27-सिं०-9-38एसएवी/22 दिनांक 06.11.23 के बिन्दु संख्या-02(क) एवं 02(ख) द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा बजट आवंटन एवं आनलाईन फीडिंग/अन्तरण हेतु धन की मांग के क्रम में सम्बन्धित खण्डों को निम्नानुसार अंकित विवरण के अनुसार व्यय हेतु सर्वर पर आनलाईन फीडिंग/ अन्तरण हेतु विवरण निम्नानुसार है:-

(आंकडे लाख रु० में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	लेखा शीर्षक	शासकीय स्वीकृति का संदर्भ	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का संदर्भ	खण्ड का नाम/ आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं डी०डी०ओ कोड	कोषागार/ जनपद	धनराशि	टिप्पणी
1	एल०ए० वाद संख्या-218/2005, प्रथम अपील संख्या-52/2014 तथा निष्पादन वाद संख्या-06/2013 रामचरन बनाम उ०प्र० सरकार में मा० अपर जिला जज बिजनौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2012 के अनुपालन में धनावनंटन के संबंध में।	94-4700-19-050-10-16-24	35/2024/001-179डब्ल्यू-24-27-3099-259-2024 दिनांक 09-12-2024	6.96715	मु०अभि० (पूर्वीगंगा) मुरादाबाद के पत्रांक-12021/मुअपूगं, दिनांक 17.12.2024	पूर्वीगंगा नहर निर्माण खण्ड-2, हरिद्वार। 4810	बिजनौर	6.96715	
योग-								6.96715	

(रु० छः लाख छियानबे हजार सात सौ पन्द्रह रुपये मात्र)

अखिलेश कुमार

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं विभागाध्यक्ष।

पत्रांक- 3910/(1)/आई०बी०/तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- संयुक्त सचिव, विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9/4 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता, (रूहेलखण्ड) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, बरेली।
- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्तानुसार तालिका के अनुरूप अन्तरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन/अनुश्रवण) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा) सि० एवं जल संसा० वि०, उ०प्र० मुरादाबाद।
- अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर-केन्द्र) सि० एवं जल सं० विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
- संबन्धित अधीक्षण अभियन्ता..... ।
- संबन्धित अधिशासी अभियन्ता..... ।
- स्टाफ अधिकारी(बजट)मुख्य अभियन्ता (बजट) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- कट फाईल हेतु।

(राकेश यादव)

मुख्य अभियन्ता (बजट)

कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं विभागाध्यक्ष।